डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० — 41/2023

उनवान : —

1. रोशन पुत्र स्व0 श्री रामकुमार जाति धाणक साकिन रामगढ़िया तहसील भादरा हाल आबाद सिसवाल तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

:—वादीगण

बनाम

1. धापादेवी पुत्री स्व0 श्री रामकुमार पत्नी श्री निहालसिंह जाति धाणक साकिन रामगढ़िया तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री स्व0 श्री रामकुमार जाति धाणक साकिन रामगढ़िया तहसील भादरा।
3. मन्जु पुत्री स्व0 श्री रामकुमार जाति धाणक साकिन रामगढ़िया तहसील भादरा।
4. मुकेश पुत्र स्व0 रोशनी पुत्री स्व0 श्री रामकुमार जाति धाणक निवासी निरवाण तहसील व जिला सिरसा।
5. श्रवण पुत्र स्व0 रोशनी पुत्री स्व0 श्री रामकुमार जाति धाणक निवासी निरवाण तहसील व जिला सिरसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा व वकील प्रतिवादीगण श्री प्रभुराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 9 बारानी के खाता सं. 137/122 के मु० नं० 69 के किला नं. 23, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मु० नं0 70 के किला नं० 11, 20, 21, 22 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मु० नं० 79 के किला नं. 1/1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नं. 1/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नं. 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मु० नं० 80 के किला नं. 2/1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नं. 2/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नं. 3/1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नं. 3/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नं. 4/1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नं. 4/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नं. 5/1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नं. 5/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नं. 6 ता 9, 13 ता 17, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, कुल 6.8310 हैक्टेयर जिसमें बारानी 6.7060 हैक्टेयर एवं गै०मु० रास्ता 0.1250 में वादी के पिता रामकुमार पुत्र सिघांराम के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी रोशन पुत्र स्व. रामकुमार को 4/30 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 मुकेश पुत्र स्व0 रोशनी पुत्री स्व0 रामकुमार को 1/60 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 श्रवण पुत्र स्व0 रोशनी पुत्री स्व0 रामकुमार को 1/60 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक 9 बारानी के खाता सं. 137/122 में से रामकुमार पुत्र सिंघाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपका हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन [illegible]

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.09.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:35:00 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

CamScanner